न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 132/2018

अमरलाल उर्फ शामलाल पुत्र गुरबक्सलाल जाति अरोडा निवासी गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

अवतारचन्द पुत्र वकील चन्द जाति अरोडा निवासी चक 2ए बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 16.07.2018

उपस्थिति :–

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांकः 04.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के दादा ठाकरदास को पुनर्वास विभाग से चक 2ए बडा के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 से 23, मु. नं. 11 के कि.नं. 1 से 24 की कुल 6.6790है0 भूमि आवंटन हुई थी। ठाकरदास की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उसके विधिक प्रतिनिधियों पर न्यायगत हुई जिसमें वादी व परिवार के सदस्यों के नाम 1.669 हिस्सा दर्ज हुआ। अप्रार्थी तथाकथित इकरारनामा के आधार पर उक्त 1.669 हिस्सा पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। यदि ऐसा करने में सफल हो गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 2ए बडा के मु.नं. 11 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 7, 14, 17 व 24 की 1.669है0 हिस्सा के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी पिछले 50 वर्षों से मलोट में आबाद है। प्रार्थी का पेशा काश्तकारी नहीं है। प्रार्थी की माता व अन्य ने इकरारनामा से भूमि अप्रार्थी के पिता को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया है। प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 16.07.2018 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. को जरिये रजि. सम्मन से तलब किया गया। पी.ओ. रसीद शामिल है। लेकिन रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पों. अपीलांट के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हर प्रकार से मामला अपीलांट के पक्ष में था फिर भी अधी. न्यायालय ने अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2012 उपलब्ध है जिसमें यह अंकित है कि विवादित रकबा श्री अशोक कुमार वल्द कुन्दनलाल वगैरह कौम अरोडा सा0 देह अलोटी गैर खातेदार कस्टोडियन दर्ज है एवं मौके पर श्री अवतार चन्द पुत्र वकील चन्द व अन्य के कब्जा काश्त में है। इस आधार पर अधी. न्यायालय ने सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदक अपीलांट के पक्ष में नहीं माना। इसी प्रकार अधी. न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.08.2016 में यह अंकित है कि विवादित भूमि लाजवंती, सोहनलाल, अमरलाल के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त गैर खातेदारी भूमि का इकरारनामा दिनांक

राजस्व अपील प्रधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

22.02.89 द्वारा वकील चन्द/ठाकरदास का पुत्र अवतार चन्द मौके पर काबिज है। अपीलांट ने अपने प्रा.पत्र व अपील मीमों में विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताया है व उसका कथन है कि अपीलांट व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा यह भूमि कभी भी रेस्पों. के पिता को कभी भी विक्रय नहीं की गई और न ही कानूनन यह विक्रय हो सकती थी क्योंकि प्रश्नगत भूमि की सनद जारी नहीं हुई है। अपीलांट के मुताबिक रेस्पों. द्वारा इस इकरारनामे के आधार पर सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया था जो कि उसने बाद में वापिस ले लिया। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रकरण में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में गुणावगुण पर निर्णय अधी. न्यायालय स्तर पर उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाली साक्ष्य, सबूतों के आधार पर किया जाएगा। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपीलांट का नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज भी है। प्रकरण में कब्जे की स्थिति विवाद का मुख्य कारण बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद न बढे इस हेतु अधी. न्यायालय के स्तर पर उचित था कि विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2018 निरस्त कर आदेश दिया जाता है कि अधी. न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक उभयपक्ष विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर